पत्र सं०:-एम-4-10/2022...3957.../वि०,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

तुषार सिंगला,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना-15, दिनांक...08/05/2023

विषयः- **विशेष वचनबद्धता से आच्छादित अधिवक्ताओं के शुल्क भुगतान के मामले में वित्त विभागीय सहमति/परामर्श के संबंध में ।**

प्रसंगः- वित्त विभागीय पत्रांक-2885 दिनांक-20.03.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2021 की कंडिका-13 (संदर्भित पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न) के आलोक में विशेष वचनबद्धता के मामले में विद्वान अधिवक्ताओं के शुल्क भुगतान हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया जा चुका है, तथापि कतिपय प्रशासी विभागों से एतद्संबंधी शुल्क भुगतान के बिंदु पर वित्त विभागीय सहमति की अपेक्षा की जा रही है ।

सुलभ प्रसंग हेतु बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2021 (यथा, विधि विभाग का अधिसूचना संख्या-3909 दिनांक-26.07.2021) की **कंडिका-13** निम्नवत् अवलोकलीय है:-

*"**विशेष वचनबद्धता-** इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महाधिवक्ता को पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के लिये ऐसे निर्बधनों एवं शुल्क पर, जो प्रशासी विभाग तथा विधि विभाग के परामर्श से, नियत की जाय, सरकार के लिए किसी अधिवक्ता को, जो इस नियमावली के अधीन विधि पदाधिकारी न हो, सरकार के लिए महत्वपूर्ण मामलों में विशेष काउंसेल के रूप में वचनबद्ध करने का विवेकाधिकार होगा।"*

इस प्रकार उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में विशेष वचनबद्धता से संबंधित मामलो में शुल्क निर्धारण की कार्रवाई प्रशासी विभाग एवं विधि विभाग के स्तर से की जानी है । नियमावली में इस हेतु वित्त विभाग के अनुमोदन का तथ्य अंकित नहीं है ।

अतएव अनुरोध है कि विशेष वचनबद्धता से आच्छादित विद्वान अधिवक्ताओं के शुल्क भुगतान के मामले में बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2021 की कंडिका-13 में निहित प्रावधानों के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

अनु०यथोक्त् ।

विश्वासभाजन,

8/5/23

(तुषार सिंगला)
संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांकः-एम-4-10/2022-...3957.../वि०, पटना, दिनांक...08/05/2023

प्रतिलिपिः-विद्वान महाधिवक्ता, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

8/5/23

संयुक्त सचिव ।

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण 1943 (श०)

(सं0 पटना 632) पटना, सोमवार, 26 जुलाई 2021

विधि विभाग

अधिसूचना

26 जुलाई 2021

बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2021

सं0 सी0/ई0एच0–07/2017–3909/जे0—भारत के संविधान के अनुच्छेद–162 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, पटना उच्च न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय, अन्य विधि न्यायालयों, न्यायाधिकरणों इत्यादि के लिए बिहार राज्य में पारदर्शी, निष्पक्ष एवं वस्तुपरक रीति से, बिहार राज्य के विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों की वचनबद्धता तंत्र का उपबंध करने तथा उनकी वचनबद्धता, पारिश्रमिक, कर्त्तव्य एवं अन्य निर्बंधन और शर्तों को विनियमित करने तथा उससे संबंधित एवं उसके आनुषंगिक विषयों के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका संख्या–16891/2017 (विजय कुमार विमल बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक–16.07.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।–**
   (1) यह नियमावली बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2021 कही जा सकेगी।
   (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
2. **परिभाषाएँ ।–** इस नियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–
   (क) "**अधिवक्ता**" से अभिप्रेत है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन यथापरिभाषित अधिवक्ता;
   (ख) "**महाधिवक्ता**" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद–165 के अधीन बिहार राज्य के लिए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त व्यक्ति और इस रूप में कार्य करने के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति इसमें शामिल है;
   (ग) "**अभिलेख अधिवक्ता**" से अभिप्रेत है पटना उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय के लागू नियमों के अनुसार अभिलेख अधिवक्ता;
   (घ) "**सहायक अधिवक्ता**" से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम–9 के अधीन अधिवक्ता जो विधि पदाधिकारी न हो, किंतु विधि पदाधिकारी को सहायता उपलब्ध करने हेतु वचनबद्ध हो;
   (ङ) "**कोटि**" से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम–3 मे विनिर्दिष्ट विधि पदाधिकारियों की कोटि और इसमें विधि पदाधिकारियों के अन्य कोटि शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, अवधारित की जाय;
   (च) "**वचनबद्धकर्त्ता प्राधिकार**" से अभिप्रेत है सरकार;

11. अनुपालन का पुनर्विलोकन।–

(i) पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए वचनबद्ध होने वाले इस नियमावली के अधीन यथोल्लेखित विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन महाधिवक्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जायेगा तथा वैसा मुल्यांकन, उनके कर्त्तव्यों के अनुपालन के अंकन के लिए, सरकार के पास भेज दिया जायेगा और सरकार ऐसे विधि पदाधिकारियों को, महाधिवक्ता के परामर्श से, मुक्त कर देगी जिसका अनुपालन इस नियमावली के नियम–8 के अधीन कर्त्तव्यों के अनुपालन में उनकी असफलता अथवा संतोषप्रद न रहा हो;

(ii) राज्य के व्यवहार न्यायालय के लिए वचनबद्ध होने वाले इस नियमावली के अधीन यथोल्लेखित विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष संबंधित जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा वैसा मूल्यांकन उनके कर्त्तव्यों के अंकन के लिए सरकार के पास भेज दिया जायेगा तथा सरकार महाधिवक्ता के परामर्श से, ऐसे विधि पदाधिकारियों को मुक्त कर देगी जिनका प्रदर्शन इस नियमावली के नियम–8 के अधीन कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में, उनकी असफलता के कारण संतोषजनक न हो।

12. प्रतिधारण शुल्क, शुल्क और भत्ते।– नियम–8 में यथोल्लिखित कर्त्तव्यों के अनुपालन के लिए किसी विधि पदाधिकारी को प्रतिधारण शुल्क, शुल्क और भत्ते सहित ऐसी शुल्क संदत्त की जायेगी जो राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, विनिश्चित की जाय।

13. विशेष वचनबद्धता।– इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महाधिवक्ता को, पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए, ऐसे निर्बधनों एवं शुल्क पर, जो प्रशासी विभाग तथा विधि विभाग के परामर्श से, नियत की जाय, सरकार के लिए किसी अधिवक्ता को, जो इस नियमावली के अधीन विधि पदाधिकारी न हो, सरकार के लिए महत्वपूर्ण मामलों में विशेष काउंसेल के रूप में वचनबद्ध करने का विवेकाधिकार होगा।

14. शोध काउंसेल।–इस नियमावली में किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी महाधिवक्ता को अधिकाधिक पाँच की संख्या में अनधिक 3 वर्षों की अवधि के लिए उन निर्बधनो और शर्त्तों पर जो विधि विभाग के परामर्श से, नियत की जाय, सरकार के लिए, यथा विधायी प्रारूपण, तकनीकी विधि, विधीक्षा, सरकार के लिए विशेष रूप से सांवैधानिक, कराधान, राजस्व एवं आपराधिक मुद्दे अंतर्ग्रस्त करने वाले मामलों के लिए व्यापक शोध जैसे सरकार के लिए विशिष्ट प्रकृति के विधिक कार्य को कार्यान्वित करने के लिए अधिवक्ताओं को वचनबद्ध करने का विवेकाधिकार होगा।

15. व्यावृत्ति एवं अभिभावी प्रभाव।–

(प) यह नियमावली विधि पदाधिकारियों की वचनबद्धता से संबंधित विभिन्न परिनियमों में अतर्विष्ट प्रावधानों का पूरक होगी।

(पप) इस नियमावली के प्रवृत्त हाने के पूर्व उसमें उपबंधित विषयों के संबंध में सरकार द्वारा बनाई गई/निर्गत इस नियमावली के विरूद्ध किसी बात अथवा विधि परामर्शी नियमावली, 1946 में अंतर्विष्ट विधि पदाधिकारियों की वचनबद्धता से संबंधित किसी बात का प्रभाव इस नियमावली पर नहीं होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सचिव–सह–विधि परामर्शी, बिहार।

---

26 जुलाई 2021

सं० सी०/ई०एच०–07/2017–3909/जे० निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सचिव–सह–विधि परामर्शी, बिहार।